TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)

RBE No. 41/2005

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 10th March, 2005.

S.O. .- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Services (Pension) Rules, 1993, namely:-

1. (1) These rules may be called the Railway Services (Pension) (Second Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall be deemed to have come into force from the 30th day of September, 2000.

2. In the Railway Services (Pension) Rules, 1993, after rule 53, the following rule shall be inserted, namely:-

"53 A. Conditions for payment of pension on absorption consequent upon conversion of a Railway Department into a Central autonomous body or a public sector undertaking.-

(1) On conversion of a Department of the Railway into a public sector undertaking or an autonomous body, all railway servants of that Department shall be transferred en-masse to that public sector undertaking or autonomous body, as the case may be, on terms of foreign service without any deputation allowance till such time they get absorbed in the said undertaking or body, as the case may be, and such transferred railway servants shall be absorbed in the public sector undertaking or autonomous body, as the case may be, with effect from such date as may be notified by the Government.

..2..

(2) The Government shall allow the transferred railway servants an option to revert to the railway or to seek permanent absorption in the public sector undertaking or autonomous body, as the case may be.

(3) The option referred to in sub-rule (2) shall be exercised by every transferred railway servant in such manner and within such period as may be specified by the Government.

(4) The permanent absorption of the railway servants as employees of the public sector undertaking or autonomous body shall take effect from the date on which their options are accepted by the Government and on and from the date of such acceptance, such employees shall cease to be railway servants and they shall be deemed to have retired from railway service.

(5) Upon absorption of railway servants in the public sector undertaking or autonomous body, the posts which they were holding in the Government before such absorption shall stand abolished.

(6) The employees who opt to revert to railway service shall be re-deployed through the surplus cell of the Railway.

(7) The employees including temporary employees but excluding casual labourers, who opt for permanent absorption in the public sector undertaking or autonomous body, shall on and from the date of absorption be governed by the rules and regulations or bye-laws of the public sector undertaking or autonomous body, as the case may be.

(8) A permanent railway servant who has been absorbed as an employee of a public sector undertaking or autonomous body, as the case may be, shall be eligible for pensionary benefits on the basis of combined service rendered by him or her in the railways and in the public sector undertaking or autonomous body in accordance with the formula for calculation of pension or family pension under these rules as may be in force at the time of his retirement from the public sector undertaking or autonomous body, as the case may be.

Explanation.- The amount of pension or family pension of the absorbed employee on superannuation from public sector undertaking or autonomous

body, as the case may be, shall be calculated in the same way as would be the case with a railway servant, retiring on superannuation, on the same day.

(9) The pension of an employee under sub-rule (8) shall be calculated on the basis of his last ten months' average pay.

(10) In addition to pension or family pension, as the case may be, the employees shall also be eligible to dearness relief as per industrial dearness allowance pattern.

(11) The benefits of pension and family pension shall be available to temporary transferred railway servants after they have been confirmed in the public sector undertaking or autonomous body.

(12) A permanent railway servant absorbed in a public sector undertaking or autonomous body, or a temporary railway servant who has been confirmed in the public sector undertaking or autonomous body subsequent to his or her absorption therein, shall be eligible to seek voluntary retirement after completing ten years of qualifying service with the Government and the autonomous body or public sector undertaking taken together, and he or she shall be eligible for pro-rata pensionary benefits on the basis of combined qualifying service.

(13) The Government shall create a Pension Fund in the form of a trust and the pensionary benefits of absorbed employees shall be paid out of such Pension Fund.

(14) The Member Staff, Railway Board shall be the Chairperson of the Board of Trustees which shall include representatives of the Ministries of Finance, Personnel, Public Grievances and Pensions, Labour, concerned public sector undertaking or autonomous body and their employees and experts in the relevant field to be nominated by the Government.

(15) The procedure and the manner in which pensionary benefits are to be sanctioned and disbursed from the Pension Fund shall be determined by the Government on the recommendation of the Board of Trustees.

(16) The Government shall discharge its pensionary liability by paying in lump sum as a one time payment to the Pension Fund the pro rata pension or service gratuity

and retirement gratuity for the service rendered till the date of absorption of the railway servant in the public sector undertaking or autonomous body.

(17) The manner of sharing the financial liability on account of payment of pensionary benefits by the public sector undertaking or autonomous body shall be determined by the Government.

(18) Lumpsum amount of the pro rata pension shall be determined in accordance with the Table of the values in Appendix to the Railway Services (Commutation of Pension) Rules, 1993.

(19) The public sector undertaking or autonomous body, as the case may be, shall make pensionary contribution to the Pension Fund for the period of service to be rendered by the concerned employees under that undertaking or body at the rates as may be determined by the Board of Trustees so that the Pension Fund shall be self-supporting.

(20) If, for any financial or operational reason, the Trust is unable to discharge its liabilities fully from the Pension Fund and the public sector undertaking or autonomous body is also not in a position to meet the shortfall, the Government shall be liable to meet such expenditure and such expenditure shall be debited to either the Fund or to the public sector undertaking or autonomous body, as the case may be.

(21) Payments of pensionary benefits of the pensioners of a railway department on the date of conversion of it into a public sector undertaking or autonomous body shall continue to be the responsibility of the Government and the mechanism for sharing its liabilities on this account shall be determined by the Government.

(22) Upon conversion of a railway department into a public sector undertaking or autonomous body -

(a) the balance of provident fund standing at the credit of the absorbed employees on the date of their absorption in the public sector undertaking or autonomous body shall with the consent of such undertaking or body, be transferred to the new provident fund account of the employees in such undertaking or body, as the case may be;

(b) leave on average pay and leave on half average pay at the credit of the employees on the date of absorption shall stand transferred to such undertaking or body, as the case may be;

(c) the dismissal or removal from service of the public sector undertaking or autonomous body of any employee after his or her absorption in such undertaking or body for any subsequent misconduct shall not amount to forfeiture of the retirement benefits for the service rendered under the railways and in the event of his dismissal or removal or retrenchment, the decisions of the undertaking or body shall be subject to confirmation by the Ministry of Railways.

(23) In case the Government disinvests its equity in any public sector undertaking or autonomous body to the extent of fifty-one per cent or more, it shall specify adequate safeguards for protecting the interests of the absorbed employees of such public sector undertaking or autonomous body.

(24) The safeguards specified under sub-rule (23) shall include option for voluntary retirement or continued service in the undertaking or body, as the case may be, or voluntary retirement benefits on terms applicable to railway servants or employees of the public sector undertaking or autonomous body as per option of such servants or employees, assured payment of earned pensionary benefits with relaxation in period of qualifying service, as may be decided by the Government.".

[No. F(E)III/2003/PN1/1]

(M.K. AGARWAL)
Secretary, Railway Board
and Ex-officio Additional Secretary
to the Government of India.

..6..

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Railway Services (Pension) Rules, 1993 came into force on the 3rd December, 1993.

2. In order to keep uniformity with the Department of Pension and Pensioners' Welfare's Notification on the issue published in the Gazette of India, vide number S.O. 904 (E) dated the 30th September, 2000, this notification is given retrospective effect from the 30th September, 2000.

3. The amendments to the said rules with retrospective effect will not adversely affect the interest of any person.

Note.- The Railway Services (Pension) Rules, 1993 were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 930 dated the 3rd December, 1993 and subsequently amended by -

S. No.	Notification No.	Date	Published in the Gazette of India Part II Section 3 Sub-section (ii). S.O. No.	Date of Publication
1.	2.	3.	4.	5.
1.	F(E)III/94/PN1/31 (Amendment)	03.02.1995	511	25.02.1995
2.	E(G) 94 EM1-6	31.03.1995	1026	15.04.1995
3.	F(E)III/99/PN1/38 (Modification)	23.05.2000	1554	15.07.2000
4.	F(E)III/97/PN1/14 (Amendment)	24.05.2000	1553	15.07.2000
5.	F(E)III/2000/PN1/23	18.10.2001	1081	30.03.2002
6.	E(G) 2002 EM1/1	23.08.2002	1214(E)	04.11.2004
7.	F(E)III/2003/PN1/38(Amendment)I	30.12.2003	1488 (E)	30.12.2003
8.	F(E)III/2004/PN1/21 (Amendment)	7.12.2004	3191	18.12.2004
9.	F(E)III/2003/PN1/25	20.01.2005	399	05.02.2005

(M.K. AGARWAL)
Secretary, Railway Board
and Ex-officio Additional Secretary
to the Government of India.

To,
The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Maya Puri,
New Delhi –110 064.

Copy forwarded to:

No. F(E)III/ 2003/PN1/1. **NEW DELHI** **Dt.10.03.2006**

The General Managers and FA&CAOs.
All Zonal Railways and Production Units etc.
(As per Standard Lists).

(S.SREERAM)
Deputy Director Finance (Estt.)III
Railway Board

No. F(E)III/ 2003/PN1/1. **NEW DELHI** **Dt.10.03.2006**

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Railway Bhavan, New Delhi (40 spares).

(S.SREERAM)
for Financial Commissioner/Railways

No. F(E)III/ 2003/PN1/1. **NEW DELHI** **Dt.10.03.2006**

Copy forwarded to:

1. The General Secretary, NFIR (with 35 spares)
2. The General Secretary, AIRF (with 35 spares)
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-c, Feroze Shah Road, New Delhi (with 60 spares).
4. The Secretary General, FROA (with 5 spares).
5. The Secretary, RBSS, Group"A" Officers Association
6. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers' Association
7. The Secretary General, IRPOF(with 5 spares)
8. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association
9. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association
10. The President, Indian Railway Class II officers' Association (with 5 spares)
11. The Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi-110 001. (5 spares)

for Secretary/Railway Board

No. F(E)III/ 2003/PN1/1. NEW DELHI Dt.10.03.2005

1. The G.M, N.F Railway(Const.), C.A.O, Southern Railway (Const) and C.A.O. Central Railway construction.)
2. The FA&CAOs, N.F Railway (Const.) and Southern Railway (Const.)
3. The Director General and Ex.officio General Manager, RDSO/Lucknow.
4. The General Manager and FA&CAO, Metro Railway/Kolkata.
5. The CAOand FA&CAO, COFMOW/New Delhi.
6. The General Manager and FA&CAO, CORE/Allahabad.
7. Director General, Railway Staff College/Vadodara.
8 The CAO(Const.), MTP(R)/Mumbai.
9. The CAO(Const.),MTP(R)/Chennai.
10.The Executive Director, CAMTECH/Gwalior-474020
11.The Director, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road,IRIMEE/Jamalpur, IRISET/Secunderabad.
12.The Managing Director, IRCON, IRFC, MRVC, IRWO, IRC&TC, CONCOR of India Limited, Executive Director, CRIS.
13. The Chairman –cum-Managing Director, KRC Limited/New Delhi
14. Office of the Chief Project Administrator(Telecom), Indian Railway Central Organisation for Telecom(IRCOT) Consultancy, Shivaji Bridge/New Delhi.
15. The Director(Movement) Railways/Kolkata.
16. The Joint Director, Mil Rail, Ministry of Defence.
17. The Joint Secretary, Iron & Steel,5 Koila Ghat Street/Kolkata.
18. Chief Mining Advisor, Ministry of Railway, Dhanbad, Bihar
19. The Chairman, RCC,Lok Sabha Secretariat/New Delhi.
20. The Chairman, RCT/Delhi.
21. The Chairman,RRT, Chennai.
22. The Chairman,RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Kolkata, Jammu, Gorakhpur, Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad, and Trivandrum.
23. The Editor, " Bharatiya Rail"
24. The Editor " Indian Railways"
25. Chairman, Passsenger Services Committee.
26. Member, Passenger Amenities Committee.
27. The Pay & Accounts Officer, Ministry of Railways(Railway Board)
28. The General Secretary, IRCA/New Delhi.
29. The Chief Commissioner of Railway Safery/Lucknow.
30. Chairman, RITES
31. Chairman/CAT
32. Computerised Facilitation Counter, Room No.5, Near Gate No.1, Rail Bhavan, New Delhi.
33. Rail Vikas Nigam Ltd., C-2/10, Safdarjung Development Area, Aurobindo Marg, New Delhi.

..9..

Copy to:-

1. Shri V.K. Sthanunathan, National President, National Federation of Railway Pensioners,36 Venkatanarayana Road, T. Nagar, Chennai-600 017.
2. Shri K. Gopinath Menon, The Secretary General, National Federation of Railway Pensioners, Kunnathurmedu, Palghat- 678 013.
3. Shri Y.N.Sastry, President, AIRRF, Rly Block-303, Railway Colony High School, Chilkalguda, Secunderabad-500 025.
4. B. Jayajaya Rao, President, All India Railway Officer's Association, 12-13-268 (505)New, Street-2, Lane 9, Tarnaka, Secunderabad-500 017.
5. The General Secretary, Railway Pensioners' Council Kiran Kutir, Larkania Tola, Katihar.
6. The General Secretary, All India Federation of Pensioners Association, T.P.M Hall,22, Kavirai Street, Saidapet West, Chennai-600 015.
7. Shri S.S.Ramachandra, Secretary General , All India Central Committee of Pensioners Association. Flat No.144, New Suryakiran Apartments, Plot No. 65,Patparganj, New Delhi-110 092.
8. Shri M.S.Solanki, General Secretary, Central and AIS Pensioners Association, E-i/164, Arena Colony, Bhopal(M.P) 462 016
9. Shri Nirmal Dass Gupta, Vice President, Federation of Central Government Pensioners' Organisation, P-24C, Sagar Manna Road, Kolkata. 700 060
10. Shri B.S Dard, Secretary General, Central Government Pensioners' Association, 1874/2, Sector-64, S.A.S Nagar, Chandigarh 160 061.
11. Shri C.R. Chatwani, Central Government Pensioners' Association, "SHIVANAND", 11/13, Krishna Kunj Society, Chhotunagar-7, Raiya Road, Rajkot 360 001.
12. Secretary General, Bharat Pensioners' Samaj, Post Box 3303, Jangpura Extension, New Delhi-110 014.
13. M/s. Bahri Bros., Publishers, Booksellers and Distributors, 742, Lajpat Rai Market, Delhi-110 006.

Copy to:-

Sr.PPSs/PPSs/PSs/PAs to: CRB,FC, MT,ME,MS,MM,ML, DG(RHS), DG(RPF), Adv (S), All Additional Members, Secretary, All Executive Directors, IG/RPSF, JS, JS(G), DS(D), JS(E), DS(G),EDE(N), JDMPP), DE(G), DPC, DE(N), JDE(N), JDE(P&A), JDEGC), JDE(Rep),JDE (Rep)III, JDE(G),JDE(D&A),DPC-I,II, JDE(Gaz),JDE(W), JDE(GP), JDE(Res), DDPC-III,IV, V, DDV(A&P), DDF(E)-I,II, III,JDE(L), DDE(LR)I,II,III, DDE(R)II,DDE(D&A), US(A), US(D),US(E), W.O./Railway Board.

Cash-I,II,III,IV,E(P&A)I/II, E(G), E(NG)I&II, PC-V,IV,III, E(Trg),E(MPP), E(LR)I&II, F(E)-II,I, F(E)Spl, Security(E), Security(ABE), Accounts-III(with 10 spares)ERB-I,II,III,IV,V&D, G(Pass),G(Acc), E(Welfare), E(SCT) I & II, E(O)I,II,III&III(CC), E(GR)I,II, E(GP),E(GC), PR, E(D&A), Budget, O&M, Code Revision Cell(with 2 spares), Acs-II, PG, E(Rep)-I,II,III Railway Board.

****

भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आर-बी-ई-सं- 41/2005

नई दिल्ली, तारीख 10 मार्च, 2005

अधिसूचना

का.आ. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सेवा (पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये 30 सितंबर, 2000 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 में, नियम 53 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"53-क किसी रेल विभाग के केंद्रीय स्वायत्त निकाय या पब्लिक सैक्टर उपक्रम में संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप आमेलन पर पेंशन के संदाय के लिए शर्तें .-

(1) रेलवे के किसी विभाग के पब्लिक सैक्टर उपक्रम या किसी स्वायत्त निकाय में संपरिवर्तन पर उस विभाग के सभी रेल सेवक किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के बिना अन्यत्र सेवा के निबंधनों पर, यथास्थिति, उस पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में सामूहिक रूप से उस समय तक अंतरित हो जाएंगे जिस समय तक वे, यथास्थिति, उक्त उपक्रम या निकाय में आमेलित की जाएं और ऐसे अंतरित रेल सेवक, यथास्थिति, पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में ऐसी तारीख से आमेलित हो जाएंगे जो सरकार अधिसूचित की जाए।

(2) सरकार, अंतरित रेल सेवकों को रेलवे में प्रतिवर्तित होने या, यथास्थिति, पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में स्थायी आमेलन प्राप्त करने का विकल्प अनुज्ञात करेगी ।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग प्रत्येक अंतरित रेल सेवक द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(4) रेल सेवकों का पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों के रूप में स्थायी आमेलन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको उनके विकल्प सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए गए हों और ऐसी स्वीकृति की तारीख से ही ऐसे

सेवक नहीं रहेंगे और उनके बारे में यह समझा जाएगा कि वे रेल सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं ।

(5) पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में रेल सेवकों के आमेलन पर वे पद, जिन्हें वे ऐसे आमेलन से पूर्व सरकार में धारित कर रहे थे, समाप्त हो जाएंगे ।

(6) उन कर्मचारियों को जिन्होंने रेल सेवा में प्रतिवर्तित होने का विकल्प दिया है, रेलवे के अधिशेष प्रकोष्ठ के माध्यम से पुनः तैनात किए जाएंगे ।

(7) ऐसे कर्मचारी जिनके अंतर्गत अस्थाई कर्मचारी है किंतु नैमित्तिक मजदूर नहीं हैं, और जिन्होंने पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में स्थायी आमेलन के लिए विकल्प दिया है, आमेलन की तारीख से ही, यथास्थिति, पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय के नियमों और विनियमों या उसकी उपविधियों द्वारा शासित होंगे।

(8) ऐसा स्थायी रेल सेवक जो, यथास्थिति, पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय के कर्मचारी के रूप में आमेलित कर लिया है, उसके द्वारा रेलवे में और पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में की गई संयुक्त सेवा के आधार पर उसके, यथास्थिति, पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय से सेवानिवृत्त होने के समय यथाप्रवृत्त इन नियमों के अधीन पेंशन या कुटुम्ब पेंशन की संगणना करने के लिए सूत्र के अनुसार पेंशनिक फायदों के लिए पात्र होगा।

स्पष्टीकरण :- पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय से अधिवर्षिता पर किसी आमेलित कर्मचारी की पेंशन या कुटुम्ब पेंशन की रकम की संगणना यथास्थिति, उसी रीति में की जाएगी, जिसमें रेलवे के सेवक की उसी दिन अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के मामले में की जाती है।

(9) उपनियम (8) के अधीन किसी कर्मचारी की पेंशन उसके अंतिम दस मास के औसत वेतन के आधार पर संगणित की जाएगी।

(10) कर्मचारी, यथास्थिति, पेंशन या कुटुम्ब पेंशन के अतिरिक्त, औद्योगिक महंगाई भत्ते के पैटर्न पर महंगाई राहत के पात्र होंगे।

(11) पेंशन और कुटुम्ब पेंशन के फायदे अस्थायी अंतरित रेल सेवकों को, उनके पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में पुष्ट हो जाने के पश्चात् ही उपलब्ध होंगे।

(12) किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में आमेलित कोई स्थाई रेल सेवक या ऐसा कोई अस्थाई रेलवे सेवक, जिसकी पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में उसके आमेलन की पश्चात्वर्ती पुष्टि कर दी गई है, सरकार और स्वायत्त निकाय या पब्लिक सैक्टर उपक्रम में कुल मिलाकर दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए पात्र होगा और वह संयुक्त अर्हक सेवा के आधार पर अनुपाततः पेंशनिक फायदों के लिए पात्र होगा।

---3---

(13) सरकार एक न्यास के रूप में पेंशन निधि का सृजन करेगी और आमेलित कर्मचारियों की पेंशनिक फायदे ऐसी पेंशन निधि से संदत्त किए जाएंगे।

(14) सदस्य कार्मिक, रेलवे बोर्ड, न्यासी बोर्ड का अध्यक्ष होगा और उस बोर्ड के अंतर्गत वित्त, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, श्रम मंत्रालयों, संबद्ध पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय और उनके कर्मचारियों के प्रतिनिधि तथा सरकार द्वारा नामनिर्देशित सुसंगत क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे।

(15) उस प्रक्रिया और रीति का अवधारण जिसमें पेंशनिक फायदे पेंशन निधि से मंजूर और संवितरित किए जाने हैं सरकार द्वारा न्यासी बोर्ड की सिफ़ारिश पर किया जाएगा।

(16) सरकार अपने पेंशनिक दायित्व का, पेंशन निधि में एक बार संदाय के रूप में एकमुश्त राशि, रेल सेवक के उसके पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में आमेलन की तारीख तक की गई सेवा के लिए आनुपातिक पेंशन या सेवा उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान का संदाय करके निर्वहन करेगी।

(17) पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय द्वारा पेंशनिक फायदों के संदाय के कारण वित्तीय दायित्व में हिस्सा बटाने की रीति सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

(18) अनुपातिक पेंशन की एकमुश्त रकम रेल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम 1993, के परिशिष्ट में मान तालिका के अनुरूप अवधारित की जाएगी।

(19) पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय, यथास्थिति, पेंशन निधि में पेंशनिक अंशदान संबद्ध कर्मचारियों द्वारा उस उपक्रम या निकाय के अधीन की गई सेवा की अवधि के लिए ऐसी दरों से करेगी जो न्यासी बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए जिससे पेंशन निधि आत्मनिर्भर हो जाएगी।

(20) यदि किसी वित्तीय या परिचालन कारण से न्यास पेंशन निधि से अपने दायित्व का पूर्णतया निर्वहन करने में असमर्थ है और पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय भी उस कमी को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं, तो सरकार ऐसे व्यय को पूरा करने के लिए दायित्वाधीन होगी और ऐसा व्यय या तो निधि में या यथास्थिति, पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय के नामे डाल दिया जाएगा।

(21) रेल विभाग के पेंशनभोगियों को पेंशनिक फायदों का संदाय, उसके पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में संपरिवर्तन की तारीख को, सरकार का उत्तरदायित्व बना रहेगा और इस कारण उसके दायित्वों के हिस्से के लिए प्रक्रिया सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

(22) किसी रेल विभाग के पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में उन संपरिवर्तन होने पर -

(क) पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में आमेलन की तारीख को आमेलित कर्मचारियों के खाते में जमा भविष्य निधि का अतिशेष, ऐसे उपक्रम या निकाय की सहमति से, यथास्थिति, ऐसे उपक्रम या निकाय में उन कर्मचारियों के नए भविष्य निधि खाते को अंतरित कर दिया जाएगा ;

(ख) आमेलन की तारीख को कर्मचारियों के खाते में जमा औसत वेतन छुट्टी और अर्ध-वेतन छुट्टी यथास्थिति, ऐसे उपक्रम या निकाय को अंतरित हो जाएंगी ;

(ग) ऐसे उपक्रम या निकाय में किसी कर्मचारी के आमेलन के पश्चात् किसी पश्चातवर्ती अवचार के लिए पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय की सेवा से पदच्युति या हटाया जाना, रेलवे के अधीन की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति फायदों के समपहरण की कोटि में नही आएगा और उसकी पदच्युति या हटाये जाने या छटनी की दशा में, उपक्रम या निकाय का विनिश्चय रेल मंत्रालय के पुष्टिकरण किए जाने के अधीन होगा।

(23) यदि सरकार किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में अपनी साधारण पूंजी को इक्यावन प्रतिशत या इससे अधिक की सीमा तक अपविनिधान करती है तो वह ऐसे पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय के आमेलित कर्मचारियों के हितों की संरक्षा के लिए पर्याप्त रक्षोपाय विनिर्दिष्ट करेगी।

(24) उपनियम (23) के अधीन विनिर्दिष्ट रक्षोपायों के अंतर्गत ऐसे सेवकों या कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प या यथास्थिति उपक्रम या निकाय की सेवा में बने रहने, या रेल सेवकों या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों को लागू शर्तों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति फायदों, अर्हक सेवा की अवधि में शिथिलता के साथ उपार्जित पेंशनिक फायदों के सुनिश्चित संदाय का विकल्प भी है, जैसा सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए।"।

[सं. एफ(ई)III/2003/पीएन1/1]

(एम. के. अग्रवाल)
सचिव, रेलवे बोर्ड और
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार

---5---

(13) सरकार एक न्यास के रूप में पेंशन निधि का सृजन करेगी और आमेलित कर्मचारियों की पेंशनिक फायदे ऐसी पेंशन निधि से संदत्त किए जाएंगे।

(14) सदस्य कार्मिक, रेलवे बोर्ड, न्यासी बोर्ड का अध्यक्ष होगा और उस बोर्ड के अंतर्गत वित्त, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, श्रम मंत्रालयों, संबद्ध पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय और उनके कर्मचारियों के प्रतिनिधि तथा सरकार द्वारा नामनिर्देशित सुसंगत क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे।

(15) उस प्रक्रिया और रीति का अवधारण जिसमें पेंशनिक फायदे पेंशन निधि से मंजूर और संवितरित किए जाने हैं सरकार द्वारा न्यासी बोर्ड की सिफ़ारिश पर किया जाएगा।

(16) सरकार अपने पेंशनिक दायित्व का, पेंशन निधि में एक बार संदाय के रूप में एकमुश्त राशि, रेल सेवक के उसके पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में आमेलन की तारीख तक की गई सेवा के लिए आनुपातिक पेंशन या सेवा उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान का संदाय करके निर्वहन करेगी।

(17) पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय द्वारा पेंशनिक फायदों के संदाय के कारण वित्तीय दायित्व में हिस्सा बटाने की रीति सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

(18) अनुपातिक पेंशन की एकमुश्त रकम रेल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम 1993, के परिशिष्ट में मान तालिका के अनुरूप अवधारित की जाएगी।

(19) पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय, यथास्थिति, पेंशन निधि में पेंशनिक अंशदान संबद्ध कर्मचारियों द्वारा उस उपक्रम या निकाय के अधीन की गई सेवा की अवधि के लिए ऐसी दरों से करेगी जो न्यासी बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए जिससे पेंशन निधि आत्मनिर्भर हो जाएगी।

(20) यदि किसी वित्तीय या परिचालन कारण से न्यास पेंशन निधि से अपने दायित्व का पूर्णतया निर्वहन करने में असमर्थ है और पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय भी उस कमी को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं, तो सरकार ऐसे व्यय को पूरा करने के लिए दायित्वाधीन होगी और ऐसा व्यय या तो निधि में या यथास्थिति, पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय के नामे डाल दिया जाएगा।

(21) रेल विभाग के पेंशनभोगियों को पेंशनिक फायदों का संदाय, उसके पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में संपरिवर्तन की तारीख को, सरकार का उत्तरदायित्व बना रहेगा और इस कारण उसके दायित्वों के हिस्से के लिए प्रक्रिया सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

(22) किसी रेल विभाग के पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में उन संपरिवर्तन होने पर -

- - - 4 - - -

(क) पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में आमेलन की तारीख को आमेलित कर्मचारियों के खाते में जमा भविष्य निधि का अतिशेष, ऐसे उपक्रम या निकाय की सहमति से, यथास्थिति, ऐसे उपक्रम या निकाय में उन कर्मचारियों के नए भविष्य निधि खाते को अंतरित कर दिया जाएगा ;

(ख) आमेलन की तारीख को कर्मचारियों के खाते में जमा औसत वेतन छुट्टी और अर्ध-वेतन छुट्टी यथास्थिति, ऐसे उपक्रम या निकाय को अंतरित हो जाएंगी ;

(ग) ऐसे उपक्रम या निकाय में किसी कर्मचारी के आमेलन के पश्चात् किसी पश्चातवर्ती अवचार के लिए पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय की सेवा से पदच्युति या हटाया जाना, रेलवे के अधीन की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति फायदों के समपहरण की कोटि में नही आएगा और उसकी पदच्युति या हटाये जाने या छटनी की दशा में, उपक्रम या निकाय का विनिश्चय रेल मंत्रालय के पुष्टिकरण किए जाने के अधीन होगा।

(23) यदि सरकार किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में अपनी साधारण पूंजी को इक्यावन प्रतिशत या इससे अधिक की सीमा तक अपविनिधान करती है तो वह ऐसे पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय के आमेलित कर्मचारियों के हितों की संरक्षा के लिए पर्याप्त रक्षोपाय विनिर्दिष्ट करेगी।

(24) उपनियम (23) के अधीन विनिर्दिष्ट रक्षोपायों के अंतर्गत ऐसे सेवकों या कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प या यथास्थिति उपक्रम या निकाय की सेवा में बने रहने, या रेल सेवकों या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों को लागू शर्तों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति फायदों, अर्हक सेवा की अवधि में शिथिलता के साथ उपार्जित पेंशनिक फायदों के सुनिश्चित संदाय का विकल्प भी है, जैसा सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए।"।

[सं. एफ(ई)III/2003/पीएन1/1]

(एम. के. अग्रवाल)
सचिव, रेलवे बोर्ड और
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार

- - - 5 - - -

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993, 3 दिसंबर, 1993 को प्रवृत्त हुए थे।

2. इस संबंध में तारीख 30 सितंबर, 2000 के का.आ. सं. 904 (अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अधिसूचना के साथ एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से इस अधिसूचना को 30 सितंबर, 2000 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है।

3. उक्त नियमों के संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी व्यक्ति के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण :- रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. का.आ. 930 तारीख 3 दिसंबर, 1993 के तहत प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए -

क्र. सं.	अधिसूचना सं.	तारीख	भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित	
			का.आ. सं.	प्रकाशन की तारीख
1.	2.	3.	4.	5.
1.	एफ(ई)III/94/पीएन1/31(संशोधन)	03.02.1995	511	25.02.1995
2.	ई(जी) 94 ईएम 1-6	31.03.1995	1026	15.04.1995
3.	एफ(ई)III/99/पीएन1/38(उपांतरण)	23.05.2000	1554	15.07.2000
4.	एफ(ई)III/97/पीएन1/14(संशोधन)	24.05.2000	1553	15.07.2000
5.	एफ(ई)III/2000/पीएन1/23	18.10.2001	1081	30.3.2002
6.	ई(जी) 2002 ईएम 1/1	23.08.2002	1214(अ)	04.11.2004
7.	एफ(ई)III/2003/पीएन1/38(संशोधन)।	30.12.2003	1488(अ)	30.12.2003
8.	एफ(ई)III/2004/पीएन1/21(संशोधन)	7.12.2004	3191	18.12.2004
9.	एफ(ई)III/2003/पीएन1/25	20.01.2005	399	05.02.2005

(एम.के.अग्रवाल)
सचिव, रेलवे बोर्ड
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली - 110 064